2152017-Himachal-7.qxd 05/20/2017 8:52 PM Page 1

डा. श्रीकांत बने मॉडल अस्पताल विकास समिति के सदस्य

केंद्र सरकार ने की महत्वपूर्ण नियुक्ति

बद्दी, 20 जून (ऋषि ठाकुर) : केंद्र सरकार ने दून के वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. श्रीकांत शर्मा को अस्पताल विकास समिति ईएसआई मॉडल अस्पताल काठा का सदस्य नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली कार्यालय ने पत्र जारी करके की है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई यह नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। वर्तमान में गुटबाजी के आकंठ में डूबी पार्टी को वह संजीवनी देने का काम कर सकते हैं। डॉ. श्रीकांत शर्मा 1982 से भाजपा व युवा मोर्चा से जुडे थे। उससे पहले व पंजाब में विद्यार्थी परिषद व आरएसएस में सक्रिया तौर पर काम कर चुके हैं। 1982 से लेकर डॉ. श्रीकांत ने

दून के वरिष्ठ नेता डॉ. श्रीकांत शर्मा जिनको श्रम मंत्रालय ने अस्पताल विकास समिति का सदस्य मनोनीत किया।

भाजयुमों में ज़िला महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ज़िला सोलन भाजपाध्यक्ष अध्यक्ष रह चुके हैं और वह दून में भाजपा की नींव रखने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं में शुमार है। वर्तमान में वह प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य हैं और भाजपा के आज तक हुए सभी प्रदेशाध्यक्षों के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। शर्मा ने हमेशा विवादों से दूर रहकर सिर्फ पार्टी के साथ चलने में ही अपना लक्ष्य रखा और अच्छे बुरे वक्त में पार्टी के साथ चट्टान के साथ खडे रहे।

उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने शिमला सीट के लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप के अनुमोदन पर की है। वह बीबीएन के श्रमिकों के इलाज के लिए ईएसआई अस्पताल काठा (बददी)की प्रबंधन समिति में बतौर निगरानी सदस्य काम करेंगे। डॉ. श्रीकांत ने अपनी नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा व शिमला के सांसद वीरेंद्र कश्यप का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि काठा ईएसआई अस्पताल में श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही काठा अस्पताल के स्टाफ व मजदूर प्रतिनिधियों के साथ शीघ्र ही बैठकें की जाएगी और कमियों को दूर करके केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कामगारों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। डॉ. श्रीकांत शर्मा की नियुक्ति भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने हर्ष जाहिर किया है और आशा प्रकट की है कि अब मजदूरों को वहां उचित इलाज की व्यवस्था होगी और खामियों में सुधार होगा।

आईईसी विवि में 4 जून को होगी कौशल प्रतियोगिता

बद्दी, 20 जून (ऋषि ठाकुर) : हिमाचल की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी आईईसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन व आस-पास के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता चार जून को विवि कैंपस में आयोजित की जाएगी। विवि की ओर से एप्टिट्युड टैस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड व पैन ड्राईव जैसे ईनाम प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। आईईसी कुल सचिव ओपी शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक प्रतिभागी एसएमएस, मोबाईल फोन, ऑन लाईन या ऑफलाईन अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। आईईसी ओएसडी विजय अग्रवाल ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद प्रतिभागियों को कौशल के प्रदर्शन का मंच देना है। प्रतिभागियों को इस दौरान विशेष प्राईज भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा मूल्यांकन का युवाओं के पास यह सुनहरा अवसर है।

बेहतर प्रतिभागियों को मिलेगा लैपटॉप-मोबाइल-आईपैड

जयवंती दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताईकवांडो प्रतियोगिता में प्राप्त सिल्वर मैडल को दिखाते हुए।

प्रदेश की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ताईक्वांडो प्रतियोगिता में झटका सिल्वर मैडल

सोलन, 20 मई(अमरप्रीत) : हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िला की एक होनहार युवती ने न केवल अपने गृह क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र के दूर दराज गांव की रहने वाली जयवंती ने दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ताईकमांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मैडल प्राप्त कर प्रदेश की महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। इस प्रतियोगिता में 9 देशों के 15 सौ प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वहीं प्रदेश की ओर से इस अकेली महिला ने प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया और इस खेल में पहली बार हिमाचल की पहली महिला खिलाड़ी द्वारा पदक प्राप्त कर देश का भी नाम रोशन किया है। दिल्ली से सोलन पहुंची जयवंती ने मिडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 2013 में वह हिमाचल पुलिस में नियुक्त हुई थी। नौकरी के साथ-साथ उसने अपने खेल के जज्बे को कायम रखा। कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए उसने अपने साथ अन्य महिलाओं के लिए भी कुछ कर गुजरने के लिए मिसाल कायम की है।

संजौली में आर्ट ऑफ लिविंग का हैपीनैस कोर्स सम्पन्न

शिमला, 20 मई (अ.स.) : आर्ट ऑफलिविंग संस्था की ओर से संजौली शांत कुंज में 15 से 20 मई, 2017 तक हैपीनैस कोर्स करवाया गया, जिसका शहर के 24 से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया। इस शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग हैपीनैस कोर्स के मुख्य बिंदू सुदर्शन क्रिया के साथ-साथ योग, प्राणायाम व ध्यान भी सिखाया गया तथा योग, प्राणायाम व ध्यान के महत्व के बारे में भी जानकारी भी दी गई। कोर्स संस्था के प्रशिक्षक घनश्याम चंद सारिका अहूजा व रत्ना शर्मा द्वारा करवाया गया। यह जानकारी आर्ट ऑफ लिविंग की प्रदेश मिडिया प्रभारी तृप्ता शर्मा व उप मिडिया प्रभारी जीत राम पंवर ने दी। उन्होंने बताया कि यह योग, प्राणायाम, ध्यान व सुदर्शन क्रिया मन की शांति व तनाव को दूर करने के बहुत ही महत्वपूर्ण व सरल माध्यम है। उन्होंने कहा कि संस्था का यह प्रयास है कि ज्यादा से ज्याद लोग इस कार्यक्रम से प्रेरित हो क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन भी काम में लगेगा तथा हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग विश्व के 155 देशों में मानवता के कल्याण के लिए कृत संकल्प है तथा विभिन्न कल्याणरी कार्यो के माध्यम से संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के सपने वसुधैव कुटुम्बकम को साकार करने में लगा है।

राजगढ़-हाब्बन-चंदोल सड़क की खस्ताहालत को लेकर सौंपा ज्ञापन

राजगढ़-हाब्बन-चंदोल सड़क की खस्ताहालत को लेकर अधिशासी अभियंता राजगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

राजगढ़, 20 मई (हरदेव) : 10 से 12 पंचायतों को राजगढ़ से जोड़ने वाली राजगढ़-हाब्बन-चंदोल सड़क सरकार व लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण पिछले कई वर्षो से खस्ता हालत में है। इस सड़क की खस्ता हालत को लेकर देवठी मझगांव वार्ड से ज़िला परिषद् सदस्य शकुंतला प्रकाश की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रधान जदोल टपरोली अशोक ठाकुर, प्रधान नेरी कोटली सुदेश कौशल, उप-प्रधान हाब्बन रमेश हाब्बी, पझोता स्वतंत्रता सेनानी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश चौहान, बीडीसी सदस्य नेहरटी बघोट चेत राम चौहान, बीडीसी सदस्य हाब्बन सुखपाल कश्यप, पूर्व प्रधान बलदेव हाब्बी, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष पृथ्वी राज व वेद प्रकाश आदि मौजूद थे ने अधिशासी अभियंता राजगढ़ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यह सड़क अपनी दुर्दशा स्वयम ब्यान करती है। पिछले 15-16 वर्षो से यह सड़क छोटे मोटे पेचवर्क पर ही आश्रित है व 3 से 5 कि.मी. सड़क पक्का करने का जो कार्य हुआ उसमें भी साधारण तारकोल बिछाया गया और इस सड़क को देखकर कहा ही नहीं जा सकता कि यह सड़क पक्की भी की गई थी। इस सड़क का इस तरह खस्ता हाल में होना चिंता का विषय है। सबसे बुरे हाल तो थनोह से चन्दोल तक की सड़क के है जो लगभग ढाई दशकों से पक्की होने की बाट जोह रही है। इस सड़क पर कई मंदिरो सहित हिल स्टेशन भी पड़ते है जहां श्रद्धालुओं व पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है।

पर्यटक को यहां की सुंदरता तो भाती है, लेकिन सड़क के खस्ताहाल के कारण दूसरी बार न आने की कसम खाते है। इसी प्रकार पुरे देश में प्रसिद्ध आड़ू के बाग़ यहां पर है, जिसके लिए सैंकडो गाड़िया इन सड़कों पर से गुजरती है। सदस्यों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षो से इस सड़क को विधायक प्राथमिकता या राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित होने की बात सुनते आ रहे है, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिशासी अभियंता से स्वयं सड़क का हाल देख इसमें सुधार करने हेतु सरकार से बजट का प्रावधान कराने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है।

'हिमाचल में रहने वाले गैर कृषकों को प्रदेश में जमीन खरीदने की स्वीकृति दी जाए'

नाहन, 20 मई (एसपी जैरथ) : गैर कृषक सभा ज़िला सिरमौर ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि हिमाचल में रहने वाले गैर कृषकों को प्रदेश में जमीन खरीदने की स्वीकृति दी जाए और उन पर धारा-118 का बंधन हटाया जाए। ज़िला सिरमौर गैर-कृषक सभा के अध्यक्ष प्रदीप सहरोत्रा ने कहा कि हिमाचल में कई ऐसे निवासी हैं, जो यहां पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, मगर उनके पास कृषक भूमि नहीं है और धारा-118 के लागू होने के कारण वे हिमाचल में जमीन खरीदने से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर-कृषक जो पिछले कई सालों से हिमाचल में रह रहे हैं तथा सरकारी नौकरियां करने के बाद सेवानिवृत भी हो चुके हैं और उनके पास हिमाचल में लंबे समय से रहने का प्रमाण पत्र भी है, मगर उन्हे हिमाचल में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है और यहां तक कि रहने के लिए मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार से धारा-118 के अन्तर्गत स्वीकृति लेनी पड़ रही है। उन्होंने हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि जो परिवार पिछले लम्बे अर्से यानि 50 सालों या उससे ज्यादा समय से हिमाचल में रह रहे हैं। उन्हें धारा-118 से वंचित किया जाए, ताकि वे समय रहते अपना मकान हिमाचल में बना सकें और सरकार से हिमाचल में जमीन खरीदने की स्वीकृति अपना आश्याना बनाने के लिए दी जाए और अगर कोई निवासी कृषि जमीन खरीदना चाहता है तो उस पर यह धारा लागू की जाए।

निजी स्कूलों के प्रबंधकों व प्रिंसीपल के साथ बैठक का आयोजन

ज्वाली, 20 मई (रामप्रकाश): पुलिस थाना फतेहपुर व पुलिस थना ज्वाली के अंतर्गत आने वाले निजी स्कूलों के प्रबंधकों व प्रिंसीपल के साथ डीएसपी कार्यालय ज्वाली में डीएसपी ज्वाली धर्म चंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निजी स्कूलों द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए। डीएसपी ज्वाली धर्म चंद वर्मा ने समस्त निजी स्कूलों के प्रबंधकों/प्रिंसीपल को निर्देश दिए कि निजी स्कूल बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट सहित अन्य समस्त दस्तावेज साथ रखें, निजी स्कूल बसों में चालक के साथ-साथ परिचालक का होना अनिवार्य है तथा चालक-परिचालक के पास वैद्य लाइसेंस होने के साथ यूनिफार्म पहनी होनी चाहिए, निजी स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र के साथ-साथ फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है, बसों के शीशों पर जालियां लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए तथा हर निजी स्कूल के अंदर उसमें आने-जाने वाले बच्चों के नाम, पिता का नाम अंकित चार्ट लगा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस में जाने वाले बच्चे को सड़क पर न उतारें और तब तक बच्चे के माता-पिता का इंतजार करें जब तक उसके माता-पिता उसको लेने के लिए नहीं आ जाते।

डीएसपी ज्वाली धर्म चंद वर्मा ने कहा कि निजी स्कूल प्राइवेट वाहनों का प्रयोग बच्चों को स्कूल लाने या स्कूल से घर छोड़ने के लिए न करें। उन्होंनें कहा कि नियमानुसार टैक्सी परमिट वाहन को ही हायर करें। स्कूल मालिक अपनी बसों को सड़क किनारे पार्क न करें। अगर कोई निजी स्कूल बस सड़क किनारे पार्क पाई गई तो उसका चालान किया जाएगा। वाहनों में स्टीरियों इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। डीएसपी ज्वाली धर्म चंद वर्मा ने कहा कि हर स्कूल की बसों की चैकिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत हर निजी स्कूल बस की चैकिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा कि चैकिंग के दौरान अगर किसी स्कूल बस को नाबालिग या बिना वैद्य लाइसेंस चलाते कोई पाया गया तो निजी स्कूल बस को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चैकिंग के दौरान अगर कोई कोताही पाई गई तो उसके मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर समस्त निजी स्कूलों के प्रबंधकों/प्रिंसीपल ने भाग लिया।

वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान कार्ड बनाए जाएंगे

नगरोटा बंगवा, 20 मई (विनोद सरोत्री) : हिमाचल पथ परिवहन निगम नगरोटा बंगवा के क्षेत्रीय प्रबंधन राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई, 2017 को नगरोटा बंगवा बस अड्डे में एक विशेष अभियान के तरह वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिसमें हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर 30 प्रतिशत किराये मे छूट मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधन राजकुमार ने बताया कि यह कार्ड एक साल तक मान्य होगा तथा इसके लिए पात्र की आयु 60 साल व इससे उपर हो, अपने अधार कार्ड की कॉपी व दो अपनी फोटो लेकर नगरोटा बस अड्डा में आकर सम्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

धर्मपुर थाना से फरार दुष्कर्म के आरोपी जय प्रकाश को पुलिस ने दबोचा

सोलन, 20 मई (अमरप्रीत) : सोलन के धर्मपुर थाना से 17 मई को शौचालय की खिड़की तोड़ पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ यौनशोषण का आरोपी जय प्रकाश को आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया। पुलिस को यह कामयाबी देर रात सिरमौर के दाड़ो देवरिया गांव के समीप जंगल में मिली है। आरोपी जंगल में छिपकर बैठा था, जिसे पुलिस टीम ने धर दबोचा। लिहाजा आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। डीएसपी सोलन रमेश शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात पुलिस ने दाड़ो देवरियां के जंगल में दबिश देकर आरोपी जय प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तलाश में विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही थी। उन्होंने बताया कि आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। जहां से 23 मई तक का पुलिस रिमांड दिया गया है। बता दें कि आरोपी जय प्रकाश पर आरोप है कि उसने एक युवती को शादी का झांसा देकर उससे नाजायज संबंध स्थापित किए। युवती की शिकायत पर आरोपी को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। इसी बीच वह अगले दिन ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी जय प्रकाश सिरमौर के पच्छाद विकास खंड के दाड़ो देवरिया का रहने वाला है।

पकड़ा गया यौनशोषण का आरोपी जय प्रकाश पुलिस टीम के साथ।

ज़िला पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से 23,400 रुपए वसूले

चंबा, 20 मई (शिव शर्मा) : चंबा पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए आज फिर से दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों वालों पर शिकंजा कस्ते हुए ट्रैफ्फिक पुलिस ने 128 चलान काटे और जिसमें 23, हजार 400 रूपये चलान के रूप में पुलिस द्वारा वसूले किये गए। इस प्रक्रिया में वह लोग इस जद में आये जिन लोगों की दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों थी और इन लोगों ने गैर कानूनी तौर तरीकों से गाड़ी खड़ी करने व बिना कागजात के गाड़ी चलाने का जुर्म पाया गया है। वंही ज़िला पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने वाले 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते उनके भी चलान किये जिनसे 200 रूपये जुर्माने के तौर पर पुलिस ने वसूले। यह जानकारी ज़िला पुलिस प्रवक्ता डीएसपी हैडक्वाटर वीर बहादुर सिंह ने दी।

राजस्व कानूनों में किए गए नवीन सुधारों एवं परिवर्तनों की गहन जानकारी और ज्ञान हासिल करने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह

धर्मशाला, 20 मई (सतेंद्र धलारिया): मंडलायुक्त नंदिता गुप्ता ने अधिकारियों से राजस्व कानूनों में किए गए नवीन सुधारों एवं परिवर्तनों की गहन जानकारी और ज्ञान हासिल करने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के व्यापक हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि अधिकारी राजस्व मामलों से जुड़ी प्रक्रियाओं, नए संशोधनों और नियमों को लेकर अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर बढ़ाते रहें। वे आज यहां दो दिवसीय राजस्व अदालत मामलों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थीं। यह कार्यशाला हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान धर्मशाला के सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्व अधिकारियों की संबंधित कानूनों में किए जा रहे नए परिवर्तनों की जानकारी को और बढ़ाने तथा ज्ञान को सही परिपेक्ष्य में अमल में लाने के विविध उपाय सुझाने में उपयोगी रहा है। इस कार्यशाला में अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल अनूप रत्न ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 व भारतीय साक्ष्य और सीमाएं व मुख्य प्रावधान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर इंचार्ज हिपा सुरिन्द्र शर्मा मौजूद थे।

नाड़ी परीक्षण कैंप का आयोजन

पालमपुर, 20 मई (गोपाल सूद) : मैन चौक ठाकुरद्वारा में नाड़ी परीक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आर्ट ऑफ लिविंग के अंतरास्ट्रीय केंद्र बेंगलोर से वरिष्ठ नाड़ी विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगी। नाड़ी परीक्षण खाली पेट या खाना खाने के 3 घंटे बाद किया जाता है, ये जानकारी श्री श्री आयुर्वेदा के सयोजक जोगिंदर सिंह ठाकुर सुजानपुर ने दी। उन्होंने बताया की हमारे चिकिस्त्सक आपको व्यक्तिगत और विस्तारित जानकारी देते हैं, रक्त चाप, मधुमेह, हृदय विकार, अस्थमा, आर्थराइटिस, किडनी और लिवर संबंधी बिकार, माइग्रेन, हार्मोनल, असंतुलन इत्यादि बिमारियों से निजात मिलेगी।

भाजपा महिला मोर्चा ने बनाई रणनीति

कुमारसैन, 20 मई (सौरव वर्मा) : कोटगढ़ क्षेत्र से 200 महिलाएं नव नियुक्त भाजपा प्रभारी मंगल पांडे का ठियोग पहुंचने पर भव्य स्वागत करेगी ये निणर्य भाजपा महिला मोर्चा की बैठक मे महिला सदस्यों ने लिया। बैठक का आयोजन कुमारसैन मे किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य ज्योत्सना भारद्वाज ने की। बैठक में रविवार को प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे के ठियोग दौरे के दौरान जोरदार स्वागत करने के लिए रणनीति तैयार की गई। ज्योत्सना भारद्वाज ने सभी महिला पदाधिकारीयों व कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि क्षेत्र के हर बूथों से ज्यादा संख्या में भागेदारी सुनिश्चित करे तथा मोदी सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाकर आने वाले समय में कमल का फूल खिलाएंगे। बैठक मे महिला मोर्चा की सदस्य उजवला जिश्टू, गीता, रक्षा देवी, रामकली, रेखा मांटा, रजनी, जय देवी, सुमना देवी, दीपा गौतम सहित अन्य महिलाएं शामिल रही।

बाल विकास परियोजना शिमला (शहरी) द्वारा भांग उन्मूलन अभियान के अंतर्गत रैली

शिमला, 20 मई (अ.स) : बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला ने बताया कि ज़िला प्रशासन द्वारा चलाए गए भांग उन्मूलन अभियान के अंतर्गत आज शिमला में नशा निवारण एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिलाओं ने लक्कड़ बाज़ार से रैडिसन होटल तक जन साधारण को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव बारे नारे लगाकर जागरूक किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला ने इस जागरूकता रैली में शहरवासियों से भांग के पौधे दिखाई देने पर उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व स्थानीय महिलाओं की सहायता से परियोजना के अधिकार क्षेत्र में उगे भांग के पौधों को समय-समय पर उखाड़ा जाएगा।

विभाग ने कमेटी का गठन कर की जांच शुरु

नालागढ़, 20 मई (गुरजीत) : न्यू नालागढ़ में एक निजी भवन निर्माण के पास सरकारी सीमेंट के 120 बैग मिलने से विभाग में हडकंप मच गया था और लोक निर्माण विभाग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए चार सदस्यों की कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। यह कमेटी इस मामले की जांच कर रिपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों को सौपेंगी। विभाग का कहना कि इस मामले में पाए जाने वाले दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जानकारी अनुसार लोक निर्माण विभाग नालागढ़ द्वारा जारी 120 सीमेंट के बैग न्यू नालागढ़ में तीन दिन पहले एक निजी निर्माणाधीन भवन के पास पाए गए जिसकी भनक कुछ लोगों को लग गई और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी ओर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी सिमेंट के बैग गाड़ी से उतारे गए थे कि तभी पुलिस ने दबिश देकर सीमेंट को अपने कब्जे में ले लिया। यह बता दें जहां सीमेंट उतारा गया वहां पर दो मंझिले भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। अब विभाग ने इस मामले की जांच अपने स्तर पर करवानी शुरू कर दी है, जिसमें विभाग ने एक कमेटी गठित की है जिसकी अध्यक्षता अधिशासी अभियंता नालागढ़, एसडीओ बद्दी, अधीक्षक व एक अन्य अधिकारी शामिल है यह कमेटी यह जांच करेगी कि यह सीमेंट कहां के लिए जारी किया था और वहां कैसे पहुंचा और किस ठेकेदार को जारी किया था, इसकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग के आला अधिकारियों को भेजी जाएगी। हालांकि पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। अधिशासी अभियंता संजीव अग्निहोत्री ने इस मामले में चार सदस्यों की कमेटी गठित कर दी गई है, जो इस मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट आला अधिकारियों को पेश करेगी। उन्होंने बताया विभाग द्वारा सीमेंट के बैग रामशहर में निर्माण कार्य के लिए जारी किए थे।

चार सदस्यों की कमेटी मामले की जांच कर रिपोर्ट आला अधिकारियों को पेश करेगी

लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा सरकारी सीमेंट के दुरप्रयोग के बाद क्षेत्र के लोगों में तरह-तरह की बाते उड़ रही है लोगों का कहना है कि जनहित के निर्माण कार्यो का सीमेंट अपने सही स्थान तक नहीं पहुंच रहा है, जिसमें लोगों ने सरकार से मांग की है विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी निर्माण कार्यो की जांच की जाए और इस मामले में शामिल दोषियों पर कार्यवाही की जाए।

23 मई को बिजली बंद रहेगी

जयसिंहपुर/सरीमोलग, 20 मई (कंठवाल/ प्रवीण) : 23 मई को जयसिंहपुर, करणघट, कोसरी की बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सुरेश सकलानी ने बताया कि 11 केवी की रिपेयर चलते करणघट, कोसरी, सुआ, हरोट, टिकरी, एसडीएम कार्यालय की बिजली बंद रहेगी। बिजली सुबह 9 बजें से शाम काम समाप्त होने तक बंद रहेगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

सं. पी.बी.डब्ल्यू. (बी.) एफ (5) 70/2016
शिमला-2, दिनांक : 09-05-2017

शुद्धि पत्र

इस विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-04-2017 के अन्तर्गत गांव पोहल, तहसील कोठखाई, ज़िला शिमला, हिमाचल प्रदेश में गुम्मा-पोहल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जा रही है में खसरा नं. 150 रकबा 00-00-38 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नं. 150 रकबा 00-00-88 हैक्टेयर व खसरा नं. 267 रकबा 00-00-03 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नं. 267 रकबा 00-03-58 हैक्टेयर पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा
अति. मुख्य सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

No : 0726/17-18

SHDF SCHOLARSHIPS – 2017
For Students Pursuing Professional Courses

(Up to Rs. 27,000 per year per student plus Incentives up to Rs. 3,000 to Toppers / Position Holders)

Nishkam Sikh Welfare Council (Regd.), New Delhi in association with Sikh Human Development Foundation, U.S.A (SHDF) invite Applications for SHDF Scholarships from regular students studying in recognized Colleges and Universities for Professional Degree/Diploma Courses like Engineering, IT, Computer Science, Medical, Nursing, Home Science, Architecture, Agriculture, Business Management, B.Ed., Journalism, CA etc. Students who have appeared in Class XII Examination in March, 2017 can also apply and take the Written Test and Interview, Scholarship for such students will be considered only on receipt of proof of admission to a professional course in recognized Institute/college and if found eligible otherwise.

Eligibility Criteria: (i) Minimum 60% marks in previous two examinations and (ii) Total family income from all sources not exceeding Rs.1,50,000 per year.

Application Form and detailed instructions are available on Nishkam website www.nishkam.in Duly filled-in Application Form, together with documentary evidence of past academic performance, family income, all receipts for paid tuition fee and other refundable and non-refundable charges must reach at Nishkam Sikh Welfare Council (Regd.), SHDF Division, Nishkam Bhawan, B-Block, Tilak Vihar, New Delhi – 110018 latest by 30th July, 2017 (Phone No. 011- 28333842/28334477). Eligible students will be required to take a Written Test in Punjabi & Moral Science during August/September, 2017 at any one of the seven Centres namely New Delhi, Chandigarh, Ludhiana, Faridkot, Moga, Bathinda and Amritsar (Details to be notified later).

EVERY APPLICANT MUST HAVE HER/HIS OWN VALID E-MAIL ID SINCE COMMUNICATION WITH APPLICANTS WILL BE THROUGH E-MAIL ONLY

For any other query, please send e-mail to nishkamsewa1984@gmail.com